राष्ट्रीय लोक अदालत

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 67 / 2022

श्योपाल पुत्र गोरधन जाति माली निवासी रावल–जावल तहसील मांगरोल

......वादी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादी

**<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0</u>**

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादी : श्री सुनील कुमार गौड़

दायरा दिनांक: 19.05.2022

निर्णय दिनांक : 13.08.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के आराजी खाता संख्या 178 खसरा नं0 46 रकबा 0.39 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम रावल जावल तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम श्योपाल पुत्र गोरधन के स्थान पर शिवपाल पुत्र गोरधन दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम श्योपाल पुत्र गोरधन है। जिसको वादी शिवपाल पुत्र गोरधन के स्थान पर श्योपाल पुत्र गोरधन दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में श्योपाल पुत्र गोरधन दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में शिवपाल पुत्र गोरधन के स्थान पर श्योपाल पुत्र गोरधन दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम शिवपाल पुत्र गोरधन के स्थान श्योपाल पुत्र गोरधन दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 19.05.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक:–राजस्व / 2022 / 1174 दिनांक 19.07.2022 के अनुसार श्योपाल पुत्र गोरधन जाति माली को शिवपाल पुत्र गोरधन जाति माली के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम श्योपाल उर्फ शिवपाल पुत्र गोरधन जाति माली एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम शिवपाल पुत्र गोरधन के स्थान पर श्योपाल पुत्र गोरधन सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं एवं रामकरण पुत्र छीतरलाल जाति माली निवासी रावल जावल के आधार पर आराजी खाता संख्या 178 खसरा नं0 46 रकबा 0.39 है0 कुल किता 1 कुल



उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.39 है0 वाके ग्राम रावल जावल तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम शिवपाल पुत्र गोरधन के स्थान पर श्योपाल उर्फ शिवपाल पुत्र गोरधन दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत सुनाया गया।

(रजत कुमार विजयवर्गीय)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner